राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक प0 2(11)पपा/2007 पार्ट–II **जयपुर दिनांकः 06 NOV 2023**

कुलसचिव,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं
पशुविज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषयः– टांटिया विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर के संघटक संस्थान श्रीगंगानगर इन्स्टीट्यूट ऑफ वेटेरीनरी साईंस को सत्र 2023–24 एवं आगामी सत्रों की 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में शामिल करने के क्रम में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.09.2022 द्वारा टांटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर के संघटक संस्थान श्रीगंगानगर इन्स्टीट्यूट ऑफ वेटेरीनरी साईंस को दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (AHDP) हेतु प्रतिवर्ष की प्रवेश क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 सीटें करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके क्रम में टांटिया विश्वविद्यालय श्रीगंगानगर के संघटक संस्थान श्रीगंगानगर इन्स्टीट्यूट ऑफ वेटेरीनरी साईंस को सत्र 2023–24 एवं आगामी सत्रों हेतु 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की राजूवास, बीकानेर द्वारा आयोजित कांउसलिंग में शामिल करने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. राज्य सरकार अपने तकनीकी विशेषज्ञ दल के माध्यम से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. विश्वविद्यालय के कैम्पस में संचालित दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में राज्य कोटे की सीटों में छात्रों का प्रवेश किसी अन्य माध्यम से नहीं किये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम की पालना हेतु कटिबद्ध रहेगा।

(कश्मी कौर)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. कुलसचिव, टांटिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड़, [illegible] श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by K[illegible]mi Kaur Raan
Designation :Joint [illegible]cretary To Government
Date: [illegible]4 IST
Reason: Approved

[illegible]
शासन संयुक्त सचिव